न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
35/2021	14.06.2021	01.04.2022

अनवान

1. भगवान लाल पुत्र डालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मु0 जमनी बाई पत्नि भगवान लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गणेश लाल पुत्र कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राधेश्याम पुत्र कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मु0 देउ पुत्री कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. मु0 सत्तु पुत्री कालु जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. मेघा पुत्र दल्ला जाति कुम्हार निवासी मुंगाना फौत के बजाय–
   1. उदयराम पुत्र मेघा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
   2. किशनलाल पुत्र मेघा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मुकेश चन्द्र पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हरलाल पुत्र हजारी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मु0 बसन्ती पुत्री हजारी पत्नि राजू जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना हाल निवास डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
6. मु0 भगवानी पुत्री हजारी पत्नि भेरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मुंगाना हाल निवास जगन्नाथपुरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
7. मु0 मांगी पुत्री नारायण पत्नि गोवर्धन लाल जाति कुम्हार फौत के बजाय–
   1. शम्भुलाल पुत्र गोवर्धन लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:19 IST
Reason: SelfAttested

तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

2. मु0 हगामी पुत्री गोवर्धन लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

8. श्रीलाल पुत्र किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. बालुराम पुत्र चम्पालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. कालुराम पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 430 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3305, 3309, 3312, 3320, 3321 प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की व खाता संख्या 431 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3306 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार

काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 430 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3305, 3309, 3312, 3320, 3321 व खाता संख्या 431 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3306 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:19 IST
Reason: SelfAttested